श्यामाराम - मदनसिंह, 127/13

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1.8.24 को पेश हो [signature] मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
1.8.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	[stamp: कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर, सत्यमेव जयते]

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 127 / 2013

श्यामाराम पुत्र नानगाराम (मृत)
1 नेमीचन्द पुत्र स्व. श्यामाराम
2 मूलचन्द पुत्र स्व. श्यामाराम
3 रामकुमार पुत्र स्व. श्यामाराम
4 शिशपाल पुत्र स्व. श्यामाराम
5 हीरा देवी पुत्री स्व. श्यामाराम
6 मोहनी पुत्री स्व. श्यामाराम
7 भागोती पुत्री स्व. श्यामाराम
8 छोटी देवी पत्नी स्व. श्यामाराम
समस्त जाति बलाई निवासीगण नारसरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

अपीलांट

बनाम

1 मदन सिंह पुत्र खूम सिंह
2 हरि सिंह पुत्र खूम सिंह
3 बाबू सिंह पुत्र खूम सिंह
4 मांगे सिंह पुत्र शेर सिंह
5 मनोहर कंवर पत्नी स्व. शेर सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर हाल आबाद अलीका तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

रेस्पोडेन्टस / वादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 तहसीलदार तहसील फतेहपुर भूमिधारक राज्य सरकार
7 जिला कलेक्टर महोदय, सीकर राज.

रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 2 व 3

अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांकित
29.07.2013 मुकदमा नम्बर–55/2011
बउनवानी मदनसिंह आदि बनाम श्यामाराम
आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
फतेहपुर जिसके द्वारा आवेदन अन्तर्गत
आदेश–9 नियम 13 सीपीसी खारिज
किया गया।

अपील संख्या 128/2013

श्यामाराम पुत्र नानगाराम (मृत)
1 नेमीचन्द पुत्र स्व. श्यामाराम
2 मूलचन्द पुत्र स्व. श्यामाराम
3 रामकुमार पुत्र स्व. श्यामाराम
4 शिशपाल पुत्र स्व. श्यामाराम
5 हीरा देवी पुत्री स्व. श्यामाराम
6 मोहनी पुत्री स्व. श्यामाराम
7 भागोती पुत्री स्व. श्यामाराम
8 छोटी देवी पत्नी स्व. श्यामाराम
समस्त जाति बलाई निवासीगण नारसरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 मदन सिंह पुत्र खूम सिंह
2 हरि सिंह पुत्र खूम सिंह
3 बाबू सिंह पुत्र खूम सिंह
4 मांगे सिंह पुत्र शेर सिंह
5 मनोहर कंवर पत्नी स्व. शेर सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर हाल आबाद अलीका तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

रेस्पोडेन्टस/वादीगण

6 तहसीलदार तहसील फतेहपुर भूमिधारक राज्य सरकार
7 जिला कलेक्टर महोदय, सीकर राज.

रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 2 व 3

अपील विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिकी दिनांकित 29.07.2013 मुकदमा नम्बर 55/2011 बउनवानी मदनसिंह आदि बनाम श्यामाराम आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर।

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुखदेव सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजरव अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

सक्षम भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

दिनांक:– 01.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 55/2011 में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 5/वादीगण ने एक वाद विचारण न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 1 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 व 8/प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के विरूद्ध इन कथनों के साथ पेश किया कि ग्राम बीबीपुर बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 186/1 रकबा 3.96 हैक्टेयर अवस्थित है जिसमें 0.8500 हैक्टेयर के खातेदार काबित काश्तकार है। वादीगण व स्व. चन्दाकंवर है जिनमें चन्दा कंवर का देहान्त दिनांक 30.09.2010 को हो चुकी है। शेष भूमि 3.1100 हैक्टेयर का खातेदार काबित काश्तकार प्रतिवादी नम्बर 1 है जिसका बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादी नम्बर 1 को कहा तो वह इंकार हो गया इसलिए बंटवारा करने की सहायता चाही। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 12.08.2011 को एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी जिसको अपास्त करवाने हेतु प्रतिवादी नम्बर 1 ने आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी पेश किया जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.07.2013 को खारिज फरमा दिया जिसके विरूद्ध अपील अलग से प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 को आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी दिनांक 29.07.2013 को खारिज करते समय ही वाद में अंतिम डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 का आवेदन अन्तर्गत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

आदेश 09 नियम 13 सीपीसी दिनांक 29.07.2013 को एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करवाने का खारिज कर दिया तथा उसी समय अंतिम डिक्री पारित कर दी तथा अपीलान्ट को आवेदन आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं देकर अंतिम डिक्री पारित कर दी। अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया तथा अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.08.2011 को अपास्त करने के आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी को अपने निर्णय दिनांक 29.07.2013 द्वारा खारिज कर दिया तथा उसी समय अंतिम डिक्री जारी कर दी। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को उक्त निर्णय दिनांक 29.07.2013 के विरूद्ध अपील करने का कोई समय नहीं दिया तथा एक साथ निर्णय करके सुनवाई के अवसर से वंचित कर दिया। बंटवारा प्रस्ताव कानूनन तहसीलदार द्वारा ही तैयार किये जा सकते है तथा बंटवारा नियम 18 से 21 के अनुसार किया जाते है जो आज्ञापक नियम है उक्त नियम की अनदेखी करके बंटवारा प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार किये गये है जो प्रस्ताव तैयार करने का अधिकार पटवारी को नहीं है किन्तु इसके विपरीत जाकर उक्त अवैध बंटवारा प्रस्ताव पर अंतिम डिक्री विचारण न्यायालय ने पारित कर दी। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने की कोई सूचना पटवारी हल्का एवं तहसीलदार ने अपीलान्ट व हितबद्ध काबिज व्यक्ति लाल सिंह को नहीं दी तथा न ही नोटिस जारी किये तथा प्रस्ताव साजशी रूप से बाला बाला तैयार करके भिजवा दिये। इसलिए उक्त साजशी प्रस्ताव पर आधारित उक्त अंतिम डिक्री अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता की सम्यक तामील हुई है। तामील स्वयं अपीलांट के पिता पर करवाई गई है। बाद तामील अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता द्वारा अंदर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मियाद आदेश 09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदन के साथ मियाद का लाभ लेने के लिए धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की गई है। विभाजन से अपीलांट को क्षति होने का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोनों निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता की सम्यक तामील हुई है। तामील स्वयं अपीलांट के पिता पर करवाई गई है। बाद तामील अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता द्वारा अंदर मियाद आदेश 09 नियम 13 का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदन के साथ मियाद का लाभ लेने के लिए धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी की गई है। विभाजन से अपीलांट को क्षति होने का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोनों निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर